



बिहार सरकार कृषि विभाग

मैं किसान/ किसान परिवार पिता/पति गाँव का नाम
..... पंचायत/नगर पंचायत/ नगर परिषद प्रखण्ड
..... जिला राज्य का निवासी हूँ एवं घोषणा
करता/करती हूँ कि वर्ष 2024-25 के खरीफ मौसम के सितंबर माह में हुई वर्षापात से गंगा, कोसी तथा
अन्य नदियों के जल स्तर में वृद्धि तथा पड़ोसी राज्यों एवं नेपाल में हुई अतिवृष्टि से उत्पन्न बाढ़ जैसी
स्थिति के कारण निम्न भूमि पर फसल क्षति हुआ है। मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मैं निम्न भूमि पर
वास्तविक खेतिहर के रूप में कार्य कार्यरत हूँ एवं मेरे नाम से निम्न जमीन का दाखिल खारिज नहीं है :

| क्रम | थाना/खाता | खेसरा | मूल भू-धारी | चौहद्दी | कुल रकवा | क्षति का रकवा |
|---------|-----------|-------|-------------|---------|----------|---------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| कुल योग | | | | | | |

वास्तविक खेतिहर होने के संबंध में स्वतंत्र गवाह के रूप में अगल-बगल के दो किसानों का विवरण :

| किसान का नाम | पता | मोबाईल संख्या | हस्ताक्षर |
|--------------|-----|---------------|-----------|
| | | | |
| | | | |

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरणी सही है। साथ ही साथ अंकित विवरणी गलत पाये जाने पर मेरी पात्रता रद्द कर दिया जाएगा एवं मुझे प्रपात अनुदान राशि विभाग को मेरे द्वारा स-समय वापस किया जाएगा।

दिनांक :/...../.....

किसान का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान

जांच के क्रम में सत्यापन की प्रक्रिया (विभागीय कार्य)

उपरोक्त विवरणी के अनुसार संबंधित कृषक को वास्तविक कृषक के रूप में प्रमाणित किया जाता है।

कृषि समन्वयक का हस्ताक्षर

जन-प्रतिनिधि (मुखिया/सरपंच/वार्ड सदस्य) का हस्ताक्षर